State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2012–13 / 5623 दिनांक 05.12.12

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी (प्राचार्य)
दूरस्थ शिक्षा केन्द्र क्रमांक ....
डाईट / बी.टी.आई. / शासकीय उ.मा.वि. ....
जिला ....

विषयः– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण अंतर्गत डी.एड. प्रथम वर्ष उन्मुखीकरण कार्यक्रम (द्वितीय चरण) बाबत्।

––00––

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार– *'ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। ''*

इसी संदर्भ में राज्य के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (पंचायत) जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन केन्द्र के स्रोत व्यक्तियों का विषयवार द्वितीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम तीन विषयों हेतु निम्नांकित स्थानों में आयोजित है–

प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण स्थल –	विषय (डी.एड. प्रथम वर्ष)
दिनांक 11.12.2012 से 15.12.2012	**पुजारी पार्क टिकरापारा, धमतरी रोड ,रायपुर छ.ग.**	1. शाला व शाला समुदाय
दिनांक 13.12.2012 से 17.12.2012	**श्री बम्लेश्वरी मंदिर क्षीरपानी परिसर डोंगरगढ़, छ.ग.**	3. कला व कला शिक्षण
दिनांक 16.12.2012 से 20.12.2012	**पुजारी पार्क टिकरापारा, धमतरी रोड ,रायपुर छ.ग.**	2. भाषा व भाषा शिक्षण

आप अपनी संस्था से संबंधित विषय के स्रोत व्यक्तियों को उनके विषय हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थल में प्रातः10 बजे से उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

टीपः –

- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल वही स्रोत व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिन्होंने जुलाई / अगस्त / नवंबर 2012 में आयोजित प्रथम उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। किसी नए व्यक्ति को जिन्होंने प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में नहीं भेजें और अब इस सत्र हेतु किसी अन्य व्यक्ति को स्रोत व्यक्ति के रूप में नामांकित न करें। नये

व्यक्तियों को भेजे जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- शेष तीन विषयों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम जनवरी 2013 के प्रथम सप्ताह में संभावित है। जिसकी तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दी जोवगी।

विशेष – प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले सभी स्रोत व्यक्ति प्रशिक्षार्थी) अपने ~~बैंक~~ एकाउंट नंबर लेकर आवें। उसी एकाउंट नंबर पर TA/DA का भुगतान किया जावेगा। एकाउंट नंबर केन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित हो। बैंक का नाम। ब्रांच एवं IFSC कोड भी साथ लावें।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.
रायपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षक शिक्षा /डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30–2 /2012–13 5624 दिनांक 05.12.12

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग,डी.के.एस.भवन,मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय पेंशनबाड़ा रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर को सूचनार्थ।
5. मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..को सूचनार्थ।
8. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ....अपने जिले के अध्ययन केन्द्रों के चिन्हांकित स्रोत व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
9. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अपने जिले के अध्ययन केन्द्रों एवं केन्द्र समन्वयकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
10. सर्व संबंधित को आदेशार्थ एवं पालनार्थ।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.
रायपुर

<u>समस्त केन्द्र प्रभारियों हेतु सूचना</u>

1. जिन केन्द्रों ने छात्रों को "Finally admit" नहीं किया है वे तत्काल अपने डाटा ऑपरेटर के साथ छात्रों को "Finally admit" करें, इसके अभाव में आपके छात्रों को "Assignment" जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
2. डी.एड दूरस्थ शिक्षा के समस्त छात्रों को "Assignment" का प्रिंट दिया जाना है।
3. सभी केन्द्रों के लॉगिन पर बैंक डिटेल की एंट्री शीघ्र करें।

****